न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,मधेपुरा।

सत्रवाद संख्या– 118/2022

28-06-2023

सभी दो अभियुक्तों तथा अभियोजन की हाजरी दी गई है। बचाव पक्ष की ओर से दिनांक 21.07.2022 को दाखिल 227 Cr.P.C. के आवेदन–पत्र तथा अभियोजन द्वारा दिनांक 17.06.2023 को दाखिल प्रतिउत्तर पर उभय पक्षों को सुना।

आवेदक अभियुक्त रामप्रवेश यादव के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस किया गया कि यह अभियुक्त निर्दोष है तथा झूठा इस वाद में फंसाया गया है। घटना के समय यह अभियुक्त अपने घर पर था। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। पुलिस द्वारा आवेदक, सूचक या पीड़ित के पत्नी के मोबाईल का ही कोई कॉल डीटेल्स हीं नहीं दाखिल किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्त रामप्रवेश यादव को लगाये गये आरोप से मुक्त किया जाय।

अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक द्वारा दाखिल 227 Cr.P.C. का आवेदन चलने योग्य नहीं केवल मुकदमा को लंबा खींचने के लिए यह आवेदन दाखिल किया गया है। आरोप गठन हेतु अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अतः इनके 227 Cr.P.C. के आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त राप्रवेश यादव प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के घर पर आकर मांस खाने के लिए बुलाकर ले जाने तथा न लौटने पर, फोन करने पर सूचक के पुत्र से घर से निकल जाने की बात कहने के पश्चात् सूचक के पुत्र का खून से लथ–पथ मृत अवस्था में पाये जाने तथा अभियुक्तों पर उसके हत्या कारित करने का आरोप है। कांड दैनिकी के पारा 11 में वादी ने अपने पुनः बयान में अभियुक्त के हत्या में संलिप्त होने की बात कही गई है। पारा 35,36 में साक्षी अनुपम कुमारी एवं रंजीत कुमार ने भी अभियुक्त के संलिप्तता की बात कही है। पारा 107 पर्यवेक्षण टिप्पणी में अभियुक्त के विरूद्ध मामला को सत्य पाया गया है तथा मामला को सत्य पाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302/34 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया गया है तथा सम्पूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए दिनांक 10.05.2022 को अभियुक्त के विरूद्ध 302/34 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया है तथा वाद विचारण हेत दौरा सूपूर्द किया गया है। इस प्रकार प्राथमिकी, कांड दैनिकी के सम्पूर्ण अवलोकन से आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302/34 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अरोप गठन हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अतः अभियुक्त का आवेदन अन्तर्गत धारा 227 Cr.P.C. को अस्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 01.08.2023 आरोप गठन हेतु। अभियुक्तगण सदेह उपस्थित रहें।

लेखापित

Virendra Kr Chaubey 28/6/23

अ0 स0 न्या0, तृतीय